THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI SUKH RAM): (a) No, Sir. However proposals for pilot projets shall be scrutinized & approved by DOT.

(b) Does not arise in view of (a) above.

राज्यों की दूर-संचार सेवाओं का राष्ट्रीय स्तर के समतुल्य बनाने हेतु सुधार किया जाना

1265. **श्री चिमनभाई हरिभाई शुक्ल :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्यों में दूरसंचार सेवायें राष्ट्रीय स्तर की औसत से कम है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या इन राज्यों में दूरसंचार सेवाओं को राष्ट्रीय स्तर की औसत के समतुल्य लाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ;

(घ) क्या गुजरात सरकार ने राज्य में दूरसंचार समस्याओं और औद्योगिक क्षेत्र की आवश्यकताओं के संबंध में कोई अभ्यावेदन भेजा है ;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(च) इस संबंध मे सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) दूरसंचार सेवाओं के निष्पादन को विभिन्न पैरामीटरों से मापा जाता है । सभी राज्य कतिपय पैरामीटरों में औसत से अधिक निष्पादन दर्शा रहे हैं ।

(ख) राज्यों में संबंधित विभिन्न पैरामीटरों में सुधार तथा समग्र राष्ट्रीय औसत में सुधार लाने के लिये सभी प्रयास किये जा रहे हैं । कार्य निष्पादनों की निगरानी सर्किल तथा मुख्यालय दोनों स्तरों पर की जा रही है और इन्हें अनुकूलतम स्तर पर रखा जा रहा है । सेवाओं में और सुधार लाने के लिये नेटवर्क में नई और अद्यतन प्रौद्योगिकिया शामिल की जा रही है, ताकि वार्षिक योजनाओं और पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से सेवाओं का उन्नयन तथा आधुनिकीकरण किया जा सके ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) और (ङ) जी, हां, गुजरात राज्य औद्योगिक विकास निगम ने कुछ औद्योगिक क्षेत्रों जैसे भड़ौदा जिले के जगादिया और वागरा और वड़ोदरा जिले में मंजुसार में नये उद्योगों के पूर्वानुमान से टेलीफोन की थोक मांग पंजीकृत की है ।

(च) तात्कालीन मांगें वर्तमान एक्सचेंजों द्वारा पूरी की गई है । गुजरात औद्योगिक निगम क्षेत्र के नये एक्सचेंज, इन स्थानों पर करार के अनुसार उपयुक्त स्थान सुलभ होने पर, खोल दिये जायेंगे, बशर्ते कि उपस्कर उपलब्ध हों ।

सौराष्ट्र-कच्छ क्षेत्र मे वन भूमि

1266. **श्री चिमनभाई हरिभाई शुक्ल :** क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सौराष्ट्र कच्छ क्षेत्र में वन भूमि क्षेत्र का जिला-वार ब्यौरा क्या है ;

(ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ में वन भूमि क्षेत्र का जिलावार प्रतिशत क्या था;

(ग) इसमें यदि कोई कमी आई तो उसके क्या कारण हैं ;

(घ) सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं ;

(ङ) सरकार गुजरात के नगर निगम क्षेत्रों में "अधिक वृक्ष लगाओ" योजना के अंतर्गत अधिक वृक्षारोपण हेतु कितनी सहायता उपलब्ध कराती है ; और क्या इस प्रयोजनार्थ वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए कोई योजना बनायी गई है ; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमलनाथ): (क) मंत्रालय में दर्ज वन भूमि के जिलेवार आंकड़े नहीं रखे जाते हैं । तथापि, सौराष्ट्र–कच्छ क्षेत्र में जिलेवार वन आवरण के ब्यौरे निम्न प्रकार हैं :—

जिला	वन आवरण (वर्ग कि० मी० में)
1. अमरेली . .	191
2. भावनगर . .	139
3. जाम नगर . .	25.
4. जूनागढ़ . .	1608
5. कच्छ . .	1252
6. राजकोट . .	80
7. सुरेन्द्र नगर . .	71
कुल . . .	3598

(ख) वन आवरण सातवीं पंचवर्षीय योजना के शुरु की अवधि के जिलेवार ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं । तथापि, सौराष्ट्र-कच्छ क्षेत्र का कुल वन क्षेत्र 1987–89 और 1989–91 के दौरान क्रमश: 3595 वर्ग कि०मी० तथा 3598 वर्ग कि०मी० था ।

(ग) उपर्युक्त वर्षों के आंकड़े की तुलना दर्शाती है कि सौराष्ट्र -कच्छ क्षेत्र में 1987—89 से 1989—91 के बीच वन क्षेत्र में 3 वर्ग कि०मी० की वृद्धि हुई है ।

(घ) गुजरात के वन आवरण के सुधार के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय इस प्रकार हैं :—

(1) राज्य में वनों की सुरक्षा एक प्रबंध के लिए जन-भागोदारिता को सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया जा रहा है ।

(2) आदिवासियों और निर्धन ग्रामीणों को शामिल करके अवक्रमित वनों के पुनरूद्धार के लिए तथा वन अग्नि के नियंत्रण के लिए भी राज्य की वित्तीय सहायता दी जा रही है ।

(3) वन अपराधों को रोकने के लिए वन चल दस्ते तथा जांच नाकों का एक तंत्र स्थापित किया गया है ।

(4) 20 सूत्री कार्यक्रम के तहत वनरोपण क्षेत्र तथा वितरित पौधों के ब्यौरे इस प्रकार हैं :

वर्ष	वनरोपित क्षेत्र (हे में)	वितरित, पौधे (लाख में)
1991–92	63430	2511.86
1992–93	64847	2281.46
1993–94	73712	1631.76

(ङ) और (च) : गुजरात में नगर निगम क्षेत्रों के लिए "और पेड़ उगाओ"

संबंधी अलग से कोई केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम नहीं है ।

मध्य प्रदेश की पर्यावरणीय अनुमोदन हेतु लंबित परियोजनाएं

1267. **श्री दिलीप सिंह जूदेव** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश की कौन-कौन सी विकास परियोजनायें पर्यावरणीय अनुमोदन हेतु मंत्रालय में लंबित पड़ी हैं;

(ख) ये परियोजनायें कब से लंबित पड़ी हैं और उसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन परियोजनाओं को शीघ्र मंजूरी देने के लिये क्या-क्या कदम उठाये गये हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमलनाथ) : (क) और (ख) परियोजनाओं की सूची जिसमें उनकी प्राप्ति की तारीख तथा लंबित होने के कारण दिये गये हैं निम्नलिखित है :

परियोजना का नाम	प्राप्ति की तारीख	लम्बित होने के कारण
1. बीना ताप विद्युत केन्द्र, (4×250 मे.वा.) मध्य प्रदेश विद्युत बोर्ड	22-7-94	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है ।
2. मंगधार में संजय गांधी ताप विद्युत केन्द्र, विस्तार चरण-II मध्य प्रदेश विद्युत बोर्ड	6-10-94	-वही-
3. मोंगरा सिंचाई परियोजना, सिंचाई विभाग, मध्य प्रदेश सरकार	5-9-90	-वही-
4. रौघाट लौह अयस्क, स्टील आथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड	8-6-87	-वही-
5. कुतेश्वर चूना पत्थर खान, स्टील आथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड	1-12-93	- ही-
6. बाराद्वार डोलोमाईट स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड	26-9-94	वानि पहलुओं से संबद्ध
7. निधाई खुली खदान (विस्तार) नार्दन कोल फील्ड्स लिमिटेड	11-10-94	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है ।
8. बोक्साइट खान, हिंडालको इंडिया लि०	8-11-94	-वही-

(ग) इस मंत्रालय को सम्पूर्ण सूचना प्रस्तुत करने की तारीख से तीन माह के भीतर परियोजना प्रस्तावों पर पर्यावरणीय दृष्टि से निर्णय लेने के लिए विचार किया जाएगा।